


Date  
07-  
03-  
2021

## सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

आज दिनांक 07.03.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिला थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाने पर बने विभिन्न रजिस्ट्रों, महिला हेल्पडेस्क, हवालात, कम्प्यूटर रूम, मैस, बैरक आदि को चैक कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।





## बिजली का बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटने गयी बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट करने वाले 03 अभियुक्तगण पर एससी,एसटी एक्ट व गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

अवगत कराना है कि अंकित कुमार (उप खण्ड अधिकारी नगीना) जनपद बिजनौर ने थाना नगीना जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि दिनांक 27.02.2021 समय करीब 12:30 बजे वह बिजली विभाग की टीम के साथ कस्बा नगीना के मौ0 कलालान निवासी एहतेशाम अली उर्फ राजा पुत्र अफसार अली के कनेक्शन संख्या 0880883311 पर बकाया 15,510/रूपये जमा न किये जाने पर बिजली कनेक्शन कट गये थे। एहतेशाम उपरोक्त का बिजली का मीटर उसके मकान परिसर के बाहर दीवार पर लगा था। बिजली विभाग टीम द्वारा बिजली कनेक्शन कट करने का प्रयास किया तो एहतेशाम अली उर्फ राजा एवं उसके भाई नाम पता अज्ञात द्वारा उनके व बिजली विभाग की टीम द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट व गाली गलौच की जाने लगी। अभि0गण द्वारा जान से मारने की नीयत से उनका गला दबा दिया तथा तमंचा मंगाकर गोली मारने की धमकी देने लगे।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 73/21 धारा 307/332/353/323/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। थाना नगीना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.02.2021 को अभि0गण 1-एहतेशाम अली, 2- सलीम, 3-आदिल पुत्रगण अफसार अली निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा/थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया अभियोग में धारा 3(2)V, A एससीएसटी एक्ट की वृद्धि भी की गयी तथा बाद विवेचना अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 04.03.2021 को आरोप पत्र संख्या 77/21 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभि0 एहतेशाम उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 75/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- एहतेशाम अली पुत्र अफसार अली निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा/थाना नगीना।
- 2- सलीम पुत्र अफसार अली निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा/थाना नगीना बिजनौर।
- 3- आदिल पुत्र अफसार अली निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा/थाना नगीना बिजनौर।

अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी है दिनांक 06.03.2021 को इनके विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 81/21 धारा 3 (10) गैग0 एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गैंगलीडर एहतेशाम उपरोक्त द्वारा दिनांक 18.07.2015 को अपने साथियों/सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला कर उनके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 251/15 धारा 147/148/332/353 भादवि0 पंजीकृत किया गया था जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

## रचित हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

दिनांक 05.02.2021 को कस्बा झालू में रचित पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी सियोहरा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की पुरानी रंजिश के चलते 1- सारीक, 2- शादाब 3- शहबर 4- शहजान, थाना हल्दौर 5- आसिफ द्वारा ताबडतोड गोलिया बरसाकर दिन दहाडे हत्या कर दी थी। सूचना पर पहुँची पुलिस द्वारा सारीक, शादाब, शहबर, शहजान को घटना में प्रयुक्त तमचों सहित गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में मृतक के पिता धर्मेन्द्र सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी सियोहरा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की तहरीर पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 34/21 धारा 147,148,149,302,506,504,120बी,114,153ए, भादवि व 7 सीएलए एक्ट व धारा 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण का एक अन्य साथी आसिफ पुत्र हसनैन निवासी निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू हल्दौर मौके से फरार हो गया था।

घटना 02 सम्प्रदायो से जुडी होने के कारण प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त आसीफ उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु मेरे द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया तथा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा पुरस्कार राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दी गयी जिसको दिनांक 08.02.2021 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभि0 आसिफ उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना में प्रकाश में आये अभि0गण नाजिम पुत्र मोहसीन निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर दिनांक 06.02.2021, अभि0गण रितिक पुत्र जागेश निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर, जोनी पुत्र जसपाल निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर, मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी लक्कडहारान कस्बा व थाना नहतौर को दिनांक 10.02.2021, वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्धु निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर, शमीर शेख पुत्र इनामुलनवी निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर दिनांक 11.02.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 02.03.2021 को आरोप पत्र संख्या 50/21 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

निष्कर्ष:- घटना पुरानी रंजिश, अपना बर्चस्व कायम करने तथा खुद को सुपरमैसिव साबित करने के लिये ईर्ष्यावश षडयन्त्र करके अभियुक्तगण शहजान व आसिफ आदि के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- सारीक पुत्र सईद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2- शादाब पुत्र शफीक निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3- शहबर पुत्र सरवर निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4- शहजान पुत्र इरफान निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू, थाना हल्दौर बिजनौर
- 5- आसिफ पुत्र हसनैन निवासी निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू, थाना हल्दौर बिजनौर
- 6- नाजिम पुत्र मोहसीन निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर
- 7- रितिक पुत्र जागेश निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 8- जोनी पुत्र जसपाल निवासी रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 9- मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी लक्कडहारान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 10- वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्धु निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर।
- 11- शमीर शेख पुत्र इनामुलनवी निवासी मौहल्ला सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर।

अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरुद्ध थाना हल्दौर पर दिनांक 06.03.2021 को मु0अ0सं0 49/21 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट की कार्यवाही की गयी।

## थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 07 वर्षीय गुमशुदा बच्चा 24 घण्टे के अंदर सकुशल बरामद ।

दिनांक 06.03.2021 को जफर मकरानी निवासी मौ0 हसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर सूचना दी कि मेरा 07 वर्षीय पुत्र मिशाब मेरी डांट के उपरान्त समय 1:10 बजे दोपहर को स्कूल ग्रीन फील्ड से बिना बताए कहीं चला गया है ।

सूचना के आधार पर थाना प्रभारी किरतपुर द्वारा उ0नि0 चंद्रवीर सिंह को बच्चे की शीघ्र तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गये तो ज्ञात हुआ कि एक बच्चा रोडवेज बस में बैठकर बिजनौर की तरफ गया है । उपनिरीक्षक चंद्रवीर सिंह व कांस्टेबल पुष्पेंद्र चहल द्वारा बिजनौर रोडवेज अड्डे पर जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए लेकिन वहां से बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। इसके उपरान्त उपनिरीक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चे का फोटो के साथ अपना मोबाईल नंबर डालकर वायरल किया गया । बच्चे का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के उपरान्त उपनिरीक्षक चंद्रवीर को समय लगभग 11:30 बजे रात्रि पीसीआर नोएडा से पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि आपके थाना क्षेत्र का गुमशुदा बच्चा सिटी सेंटर चौकी पर सकुशल बैठा हुआ है । सूचना पर उपनिरीक्षक चन्द्रवीर सिंह व कांस्टेबल पुष्पेंद्र चहल बच्चे को लेने हेतु सिटी सेंटर चौकी नोएडा पहुँचे और बच्चे को लाकर सकुशल उसके परिवारीजनों के सुपुर्द किया गया । आम जन द्वारा पुलिस के कार्य की सराहना की गयी ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस 1- सुमित 2- विनित 3- अमित पुत्रगण रामबहदुर निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना को0नगर बिजनौर को सम्बन्धित मु0अ0सं0 212/2020 धारा 498ए/323 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट चालानी थाना कोतवाली शहर बिजनौर को अन्तर्गत एनबीडब्लू की तामीली में उ0नि0 श्री अमित कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 1- रईस पुत्र सहीद अहमद निवासी ब्लाक न0 51/608 काशीराम कालोनी बैराज रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर सम्बन्धित वाद संख्या 105/2019 व मु0अ0सं0 977/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस नियत दिनांक 20.03.2021 2. सरताज पुत्र मसलूम अहमद निवासी काशीराम कालोनी बैराज रोड बी-2 म0न0 52/615 थाना कोतवाली नगर बिजनौर सम्बन्धित वाद संख्या 158/2019 धारा 504/506 भादवि चालानी थाना कोत0 शहर बिजनौर के अन्तर्गत एनबीडब्लू की तामीली में उ0नि0 श्री संदीप कालरा द्वारा गिरफ्तार किया गया ।



थाना हीमपुर दीपा:- शराब माफिया शुभम पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम चौक पुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर जो थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है पिछले काफी समय से माननीय न्यायालय के आदेश पर उपस्थित नहीं हो रहा था तथा फरार चल रहा था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम उपरोक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त बिलाल पुत्र सन्नू निवासी मोहल्ला शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नहतौर:- थाना नहतौर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- नरेश पुत्र चन्दीराम निवासी गोपालपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2-गौरव पुत्र लाखन सैनी निवासी मौ0 काजीपाडा कस्बा व थाना कोतवाली शहर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- सचिन पुत्र नेतराम 2- विक्की उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रपाल निवासी मौ0 नवाब का आहता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3- वसीम उर्फ सुक्खी पुत्र फरीद निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 02 तमंचे व 01 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।



जनपद बिजनौर दिनांक 07-03-2021



आज दिनांक **07.03.2021** को कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।



आज दिनांक **07.03.2021** को थाना हीमपुर दीपा की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र में महिलाओं/छात्राओं को आत्मरक्षा/मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।



आज दिनांक **07.03.2021** को थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र में छात्राओं को आत्मरक्षा/मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।



आज दिनांक **07.03.2021** को जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र में महिलाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।

